रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256818
CG-DL-E-31082024-256818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 31, 2024/भाद्र 9, 1946
No. 491] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31, 2024/BHADRA 9, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2024

संख्या 57/2024- सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 531(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम, 2018 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – (1) इन विनियमों को समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाए।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम, 2018, -

(i) विनियम 15 में, उप-विनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर, "31 अगस्त, 2024 तक" के स्थान पर, शब्दों, अंकों और अक्षरों, "उक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित सीमा शुल्क बंदरगाहों के लिए नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित तारीख तक" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) प्रपत्र-XII के बाद, निम्नलिखित तालिका अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

तालिका

[विनियम 14 (2) देखें]

क्र.सं.	**सीमा शुल्क बंदरगाह**	**तारीख जब तक संक्रमणकालीन प्रावधान लागू हैं**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	मोरमुगाओ (INMRM1)	10.09.2024
2.	मुंबई (INBOM1)	30.09.2024
3.	मंगलौर (INNML1) और कांडला (INIXY1)	15.10.2024
4.	तूतीकोरिन (INTUT1) और विशाखापत्तनम (INVTZ1)	31.10.2024
5.	एन्नोर (INENR1), कट्टुपल्ली (INKAT1) और कोचीन (INCOK1)	15.11.2024
6.	उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 में उल्लिखित बंदरगाहों के अलावा अन्य सभी बंदरगाह	30.11.2024

[फा. सं. 450/58/2015- सीमाशुल्क- IV(भाग I)]

धनंजय सिंह, अवर सचिव

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 448(अ), दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 47/2024-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक: 30 जून, 2024, संख्या सा.का.नि. 356 (अ), दिनांक 30 जून, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2024

No. 57/2024-Customs (N.T.)

G.S.R. 531(E).— In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations, 2018, namely: -

1. Short title and commencement – (1) These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transshipment (Third Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations, 2018, -

(i) In regulation 15, in sub-regulation (2), for the words, figures and letters, "till 31st August, 2024", the words, figures and letters, "till the date mentioned in column (3) of the table below for the Customs Ports mentioned in the column (2) of the said table." Shall be substituted.

(ii) after Form-XII, the following table shall be inserted, namely: -

TABLE

[Refer Regulation 14(2)]

Sr. No.	Customs Ports	Date till which the transitional provisions are applicable
(1)	(2)	(3)
1.	Mormugao (INMRM1)	10.09.2024
2.	Mangalore (INNML1)	30.09.2024
3.	Mumbai (INBOM1) and Kandla (INIXY1)	15.10.2024
4.	Tuticorin (INTUT1) and Vishakhapatnam (INVTZ1)	31.10.2024
5.	Ennore (INENR1), Kattupalli (INKAT1) and Cochin (INCOK1)	15.11.2024
6.	All the Customs Ports other than mentioned at Sr. No. 1 to 5 above	30.11.2024

[F. No. 450/58/2015- Cus-IV(Pt.I)]

DHANANJAY SINGH, Under Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 448(E), dated the 11th May, 2018 and were last amended vide notification No. 47/2024-Customs (N.T) dated the 30th June, 2024, vide number G.S.R. 356 (E), dated the 30th June, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA